

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 1174]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

का.आ. 1499(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1862(अ) तारीख 18.07.2014 द्वारा; उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में दहेज-उरान पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृत कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत

सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	उ. का. अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
भरुच	अंकलेश्वर	धंतुरिया	351	00-74-81
			379	00-33-30
			377	00-02-04
			376	00-10-73
			374	00-14-70
			375	00-14-04
			380	00-19-55
			371	00-18-00
			338	00-07-80
			29/2	00-12-60

[फा. सं. एल-14014/27/14-जी.पी.-II भाग-I]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

S.O. 1499(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1862 (E) dated 18.07.2014; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dahej-Uran pipeline in the State of Gujarat by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tahsil	Village	Survey No.	Land to be acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3	4	5
Bharuch	Ankleshwar	Dhanturiya	351	00-74-81
			379	00-33-30
			377	00-02-04
			376	00-10-73
			374	00-14-70
			375	00-14-04
			380	00-19-55
			371	00-18-00
			338	00-07-80
			29/2	00-12-60

[F. No. L-14014/27/14-G.P-II Part-I]

S. P. AGARWAL, Under Secy.